संरक्षा बुलेटिन

मध्य रेलवे, सोलापुर मंडल

मासिक बुलेटिन नं - 01, अप्रेल - 2021-22

“संरक्षा नियमों का पालन आप पर निर्भर है”

****

भारतीय रेल पर निम्नलिखित असामान्य घटनाएं हुए हैं :-

1. : दिनांक 09.04.2021 को 09.45 बजे पश्चिम मध्य रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल में -(नंदुरबार-जलगांव सेक्शन में) 269/28-29 कि मी के बीच भोन डी ‘ श्रेणी स्टेशन पर गाड़ी नंबर 02833 डाउन के लोको नंबर 30677 द्वारा एक ट्रक कूर्चन की असामान्य घटना हुई ।

कारण : **ठेकेदार के ट्रक ड्राइवर द्वारा लापरवाही ।**

जिम्मेवारी : **इंजीनियरी विभाग के कर्मचारी**

सबक - : **मुख्य इंजीनियर द्वारा जारी परिपत्र संख्या 190 के अनुसार सभी संरक्षा पूर्वोपायों को अपनाना चाहिए और कार्य स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

2. : दिनांक 11/04/2021 को 05:40 बजे दक्षिण पूर्व मध्य रेल के बिलासपुर मंडल में - गाड़ी नंबर एन/एमटीएसएस को लाइन नंबर 1 पर आरआईजी ॲडमिट करते समय इंजन से 18 वे वैगन नंबर - ईसीओआर क्र - 22101554912 बीओएक्सएन/ई के ट्रेलिंग ट्रॉली के सभी पहियों डिरेल हआ।

कारण : **डिरेल्ड वैगन में एक जगह पर 5 टन कोयला का अवशिष्ट ढेर लगाए जाने के कारण अनइवन अनलोड हुआ !**

जिम्मेवारी : **वाणिज्य विभाग के कर्मचारी ।**

सबक : **वैगन रिलीज करने से पहले वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा संपूर्ण अनलोडिंग सुनिशचित कर लेना चाहिए।**

3. : दिनांक 15/04/2021 को 03:25 बजे दक्षिण पूर्व रेल्वे के खरगपुर मंडल में - डाउन मेन लाइन पर बीओबीएस / टीएमजीपी गिधनी स्टेशन आई थी । गाड़ी नंबर 02809 को करीब 03.23 बजे पार करने हेतू डाउन लूप लाईन से थ्रू सिगनल को झुकाया गया था परंतु बीओबीएस/टीएमजीपी का लोको पायलट द्वारा करीब 03.26 बजे डाउन मेन लाइन से प्रस्थान किया और डाउन लूप लाइन से डाउन मेन लाइन का प्वाइंट नंबर 23 बर्स्ट हुआ और गाड़ी गिधनी - जयमुर्तीनगर सेक्शन में प्रवेश किया । गाड़ी गिधनी स्टेशन तक प्रस्थान हुई और कॉमन लूप लाइन पर रुकी ।

कारण : **लोको पायलट द्वारा सही सिगनल का अवलोकन करने में विफल होना ।**

जिम्मेवारी : **ट्रैक्शन / लोको पायलट (इलेक्ट्रीकल) ।**

सबक : **गाड़ी प्रस्थान करने से पहले ठीक तरह से सही सिग्नल आफ का सुनिश्चित करना ।**

4. : दिनांक 20/04/2021 को 14:58 बजे पूर्व मध्य रेल्वे के दिन दयाल उपाध्याय मंडल में - डाउन ट्रेन डीकेएई / 28113 के गाड़ी के इंजन से 8 वे वैगन के दिल्ली सिरे की ओर एचएच एंड ट्रॉली के व्हील एक्सल टूट जाने के कारण 8 वे, 9 वे, 11 वे, 13 वे और 16 वे वैगन, 583/18 से 583/25 कि मी के बीच डिरेल हुए जिससे डाउन लाइन ब्लॉक हुई ।

कारण : **गाड़ी इंजन से 8 वे वैगन नंबर सीआर - 30019762064 के हावडा एंड ट्रॉली और दिल्ली एंड का व्हील एक्सल टुट गया ।**

जिम्मेवारी : **यांत्रिक शाखा के कर्मचारी ।**

सबक : **हॉट एक्सल का पता लगाने हेतु स्टेशन स्टाफ एवं कर्मीदल को प्रशिक्षित कीया जाना चाहिए ।**

5. : दिनांक 22/04/2021 को 05:20 बजे उत्तर रेल्वे के मोरादाबाद मंडल में - मोरादाबाद - शहाजहानपुर सेक्शन में बीपीएलयू- एमके ब्लॉक सेक्शन के बीच इंजीनीयरी समपार फाटक संख्या 343/ए पर गाड़ी नंबर 05012 ट्रक से टकराने के बाद गाड़ी का इंजन भी डिरेल हुआ । 05 यात्री घायल हुए और 01 यात्री गंभिर रुप से जख्मी हुआ ।

कारण : **लोको पायलट द्वारा गेट सिग्नल को ‘ ऑन ’ स्थिति में पार कीया ।**

जिम्मेवारी : लोको पायलट ।

सबक : **लोको पायलट द्वारा गेट सिग्नल का अनुपालन किया जाना चाहिए और समपार फाटक की ओर आते समय सचेत रहना चाहिए । गाड़ी गुजर ने से पहले गेट किपर द्वारा बंद किया गया फाटक को खुला नहीं करना चाहिए ।**

****

प्रस्तावना

(ग्रीष्मकालीन पूर्वोपाय एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर का रख-रखाव कॉन्क्रीट स्लीपरों की ट्रैक संरचना की अनुकूलता)

1. रेल पथ के सभी पर्यवेक्षी कर्मचारीयों के पास सभी शुध्दि पत्रों (25.09.18 का नवीनतम शुध्दि पत्र सं -17) और संबंधित अनुदेशों के साथ एलडब्ल्यूआर नियमावली की प्रतिलिपि होनी चाहिए ।
2. रेल पथ के सभी पर्यवेक्षको द्वारा एलडब्ल्यूआर के रख-रखाव के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण किया जाना चाहिए ।
3. एलडब्ल्यूआर नियमावली के पैरा 6.5 के अनुसार एलडब्ल्यूआर की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष औजार और उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए । रेल थर्मामीटर देखभाल और पेट्रोलिंग के लिए तापमान श्रेणी दर्शाने हेतु हरे, पिले और लाल मार्किंग वाला होना चाहिए ।
4. पेट्रोलिंग के लिए सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनियोजित रुप से की जानी चाहिए और वास्तविक ड्रिल के साथ पेट्रोलमैन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए ।
5. सी.से.इंजी/से.इंजी/ज्यु.इंजी. को प्रत्येक एलडब्ल्यूआर के व्यवहार सहित अपने कार्यक्षेत्र में एलडब्ल्यूआर के सभी विवरणों की जानकारी होनी चाहिए । यदि एलडब्ल्यूआर का व्यवहार संतोषजनक नही हो तो ग्रीष्मकाल शुरु होने से पहले उसका सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए ।
6. एलडब्ल्यूआर नियमावली (2012 शुध्दि पत्र सं.15 एलडब्ल्यूआर नियमावली पैरा सं. 8.1.5(i) ए एन्ड बी)में नियत शेडयूल के अनुसार सभी एलडब्ल्यूआर का निरीक्षण करना चाहिए । से. इंजी (प्रभारी) द्वारा सप्ताह में एक बार और से. इंजी/जूनि (सेक्शनल) द्वारा गर्मी के दो माह के दौरान निरीक्षण किया जाना चाहिए ।
7. अपने कार्यक्षेत्र में एलडब्ल्यूआर के संतोषजनक व्यवहार के बारे में सी.से.इंजी. (रेल पथ) और सहायक मंडल इंजी. द्वारा ग्रीष्मकाल शुरु होने के पहले मंडल इंजी/वरि मंडल इंजी. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(सुरेश कुमार एन.टी)
वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, सोलापूर